



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166102

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 21021/2026

रीतु और अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिकाकर्ताओं के पति और पत्नी के रूप में शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देशित करते हुए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



परमादेश की रिट जारी किए जाने की मांग की गई है और संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु आगे निर्देश भी मांगा गया है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और याचिकाकर्ताओं के बालिग होने को प्रदर्शित करने के लिए, याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा अपनी विद्यालय की अंकतालिका दाखिल की गई है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा अपना पैन कार्ड अभिलेख पर लाया गया है। उनके द्वारा बिना किसी दबाव और अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं सहमति से विवाह संपन्न किया गया है और वे विवाहित दंपति के रूप में एक साथ रह रहे हैं। आगे यह कहा गया है कि निजी प्रतिवादी और परिवार के अन्य सदस्य नाराज हो गए हैं और उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि उन्हें धमकाया और परेशान किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही अपने विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा चुका है। याचिका में किए गए अभिकथनों का समर्थन याचिकाकर्ताओं के संयुक्त शपथपत्रों द्वारा किया गया है।

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका में अभिकथन किया गया है कि वे पत्नी और पति के रूप में रह रहे हैं। यह कहा गया है कि उन्हें आशंका है कि निजी प्रतिवादी अपने परिवार के सम्मान के लिए उनकी हत्या कर सकता/सकती है। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

5. यद्यपि निजी विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किए गए हैं और साथ ही इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की गई है, किंतु प्रस्तावित रूप से पारित किए जाने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वाले आदेश को देखते हुए, केवल निजी विरोधी पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

6. तदनुसार, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, इस रिट याचिका का इस स्तर पर न्यायालय के नियमों के अनुसार अंतिम रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

7. उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में विधि स्थापित की है कि जहां कोई लड़का और लड़की बालिग हैं और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रहे हैं, तब उनके माता-पिता सहित किसी को भी उनके एक साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा ज्ञान देवी बनाम अधीक्षक, नारी निकेतन, दिल्ली और अन्य, (1976) 3 एससीसी 234; लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2006) 5 एससीसी 475; और, भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396 के मामलों में दिए गए निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है, जिनका उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा लगातार अनुसरण किया गया है, तथा इस न्यायालय द्वारा दीपिका और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2013 (9) एडीजे 534 के मामले में भी अनुसरण किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान देवी (उपर्युक्त) में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“7. ... याचिकाकर्ता की जन्मतिथि चाहे जो भी हो, तथ्य यह है कि वर्तमान में उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। चूंकि याचिकाकर्ता अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम है, इसलिए उस व्यक्ति के संबंध में उसकी पसंद पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता जिसके साथ उसे रहना है, न ही उस स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जहां उसे रहना चाहिए। न्यायालय या याचिकाकर्ता के संबंधी भी ऐसे मामले में याचिकाकर्ता की राय या पसंद के स्थान पर अपनी राय या पसंद नहीं रख सकते हैं।”

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि याचिकाकर्ता एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ पुलिस अधीक्षक, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 से संपर्क करेंगे, जो याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

9. निजी प्रतिवादी को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज गढ़े हुए अथवा कूटरचित हैं, तो उसके लिए इस आदेश को वापस लिए जाने हेतु आवेदन दाखिल करना खुला होगा।

10. चूंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जो (2006) 2 एससीसी 578 और (2008) 1 एससीसी 180 में प्रकाशित हैं, सीमा (श्रीमती) बनाम अश्वनी कुमार के माध्यम से विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, याचिकाकर्ता दो महीने की अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराने का वचन देते हैं और यदि याचिकाकर्ता उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा सके, तो इस आदेश के अंतर्गत प्रदान की गई सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जाएगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के कथित विवाह का न्यायनिर्णयन नहीं किया गया है और यह आदेश किसी भी प्रकार से उनके विवाह की वैधता के संबंध में राय व्यक्त नहीं करता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

7 अगस्त, 2026

एस. अली

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”